

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.16(21)चि.शि./ग्रुप-1/04


जयपुर, दिनांक : 07.05.2021

आदेश

कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा दिनांक 29.04.2021 द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अपने पद के साथ -साथ प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद का कार्य अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करने के आदेश जारी किये हैं।

उक्त संदर्भ में नीतिगत निर्णय, अन्तरविभागीय मामलों, भारत सरकार / अन्य राज्य सरकारों से पत्राचार सम्बन्धी या ऐसे प्रकरण जिन्हें शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा प्रमुख शासन सचिव को प्रेषित करना उचित समझे, से सम्बन्धित पत्रावलियां शासन सचिव के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी। शेष समस्त कार्य विभागीय स्थायी आदेश के अनुसार शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ही सम्पादित किया जावेगा।


साथ ही राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी के उपाध्यक्ष का कार्यभार पूर्ववत शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ही सम्पादित किया जावेगा।


(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज.जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय /
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज. जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
10. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
11. निदेशक, राजमेस, राज. जयपुर
12. निजी /रक्षित पत्रावली


(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव